न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, जेवर गौतमबुद्धनगर
उपस्थितः निमिषा गुप्ता (उ० प्र० न्यायिक सेवा)

J.O.CODE-UP3346

CNR-UPGB120029532022

सरकार बनाम ज्ञानी आदि

मु0अ0सं0–177/2021
धारा–147, 323, 504 व 506 भा0द0सं0
थाना–जेवर, जिला–गौतमबुद्धनगर

दिनांक 13–10–2022

आज अभियुक्तगण **ज्ञानी पुत्र ओमवीर, मनराज पुत्र ओमवीर, सिंहराज पुत्र ज्ञानी, अशोक पुत्र सतवीर, मनोज उर्फ भीम पुत्र सतवीर, आदिल उर्फ आदित्य तंवर पुत्र अशोक** की ओर से द्वारा अधिवक्ता **मु0अ0सं0–177/2021** ,अन्तर्गत धारा–147, 323, 504 व 506 भा0द0सं0 थाना–जेवर, जिला–गौतमबुद्धनगर के मामले में आत्म समर्पण प्रार्थना पत्र मय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिक्ता को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा प्रपत्रों का सम्यक् अवलोकन किया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया है कि अभियुक्तगण के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण निर्दोष है तथा अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है।

सुना तथा प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया गया। परिशीलन से विदित होता है कि अभियुक्तगण अपराध अन्तर्गत धारा–147, 323, 504 व 506 भा0द0सं0 से आरोपित है। मामला मजिस्ट्रेट द्वारा परिक्षणीय है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है एवं जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **ज्ञानी पुत्र ओमवीर, मनराज पुत्र ओमवीर, सिंहराज पुत्र ज्ञानी, अशोक पुत्र सतवीर, मनोज उर्फ भीम पुत्र सतवीर, आदिल उर्फ आदित्य तंवर पुत्र अशोक** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक अभियुक्तगण द्वारा 25,000/– रूपये (25 हजार रूपये) के दो–दो प्रतिभू व समान धनराशि का एक–एक व्यक्तिगत बन्धपत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0
जेवर, गौतमबुद्धनगर

Digitally signed by NIMISHA GUPTA
Date: 2022.10.13 18:28:58 IST
Reason: Document Owner
Location: Outlying Court, Jewar, GBN